प्रथम सूचना रिपोर्ट
(दण्ड प्रकिया सहिंता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. (जिला) ..**चौकी, भ्र.नि.ब्यूरो, सवाई माधोपुर**.(थाना) **प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि. ब्यूरो, जयपुर।**
(प्र.सू.रि.स.) ....210/2022........(दिनांक) ....28/5/2022...................

2 I (अधिनियम).....**भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018** ....(धाराए)..... **7, 7ए**
II (अधिनियम).. (धाराए) ....
III (अधिनियम) .... (धाराए) ....
IV (अन्य अधिनियम एवं धाराए) ....**120बी भा.द.स.**..

3. (क) (दिन).........**शुक्रवार**..... (दिनांक से).........**27.05.2022**......(दिनांक तक)......................
(ख) (पहर) ....(बजे से)...................................... (बजे तक) ....
(ग) (थाने पर प्राप्त सूचना)....................(दिनांक) ....(समय) ....
(रोजनामचा संदर्भ) ....(प्रविष्टि सं.) ....575.......(समय) ......5:30 P.M.

4. (सूचना कैसे प्राप्त हुई) (लिखित/मौखिक)..........................**लिखित रिपोर्ट** ....

5. घटना का ब्योरा (थाने से दिशा व दूरी)**बजानिव दिशा दक्षिण, दूरी करीब 2 कि.मी**
(ख) (पता)... **पावर हाउस कॉलोनी, खेरदा, सवाईमाधोपुर।**
(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो तब उस) ....
(थाने का नाम) ....**(जिला)** ....

6. (शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाला)
(क) (नाम) .**श्री पवन कुमार शर्मा**
(ख) (पिता/पति का नाम). **श्री शम्भु कुमार तिवारी**
(ग) (जन्म तिथि/वर्ष). **38 वर्ष** (घ) (राष्ट्रीयता) .**भारतीय**
(ड.) (पासपोर्ट सं.) ....
(जारी करने की तिथि) ....(जारी करने का स्थान) ....
(च) (व्यवसाय) राजकीय सेवा न्याय विभाग..
(छ) (पता).. **बंजरग नगर ,हाउसिंग बोर्ड सवाईमाधोपुर**

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पूर्ण विवरण)
(यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)

1. श्री आशाराम मीणा पुत्र श्री घनश्याम मीणा, उम्र–38 वर्ष, जाति मीणा, निवासी ग्राम गंम्भीरा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर हाल लाईनमैन द्वितीय, कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता आलनपुर, जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड सवाईमाधोपुर।

2. श्री महेश सैनी पुत्र श्री हंसराज सैनी, उम्र–37 वर्ष, निवासी सांभरलैक, जिला जयपुर हाल सहायक अभियन्ता ए–प्रथम, जयपुर विधुत वितरण निगम लि0 सवाईमाधोपुर।

8. (शिकायत/इत्तला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण) ....

9. (चोरी हुई सम्पत्ति का विवरण) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें) ....
मांगी गई रिश्वती राशि 40,000/–रुपये।

10. चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य

11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं.) (यदि कोई हो तो)

12. (प्र.सू.रि. की विषय वस्तु) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें)

सेवामें,

श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर विषय रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाने बाबत महोदय,निवेदन है कि मुझ प्रार्थी का निर्माणाधीन आवासीय मकान बजरंग नगर शेलोम स्कूल के सामने नेहा नगर के पीछे, हाउसिंग बोर्ड रोड स0मा0 में स्थित है, उक्त मकान के मैन गेट के सामने स्थित विधुत पोल को हटाये जाने की एवज में बिजली विभाग के लाईनमेन आशाराम मीणा द्वारा अपने उच्चाधिकारीयो एईएन महेश सैनी व स्वंय के लिये तथा जेईएन अंकुश बंसल के नाम पर राशि 40,000/– रूपये की रिश्वत की मांग करता है। उक्त रिश्वत एईएन, जेएईएन में आपस में बंटे जाने बाबत भी बोलता है। रिश्वत की रकम नही दिये जाने से आज दिनांक तक प्रार्थी द्वारा बिजली विभाग में पोल सिफ्टीग हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नही की गई तथा पोल भी नही हटाया गया। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त के विरूद्व नियमानुसार

रिश्वतखोरी करने के जुर्म में कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे प्रार्थी पवन कुमार शर्मा पुत्र श्री शम्भु कुमार तिवारी, जाति ब्राहम्मण, निवासी बजरंग नगर, हाउसिंग बोर्ड रोड स0मा0 मो.नं. 9460152551

"कार्यवाही पुलिस"

दिनांक 17.05.2022 समय 05.00 पी.एम. पर परिवादी श्री पवन कुमार शर्मा पुत्र श्री शम्भु कुमार तिवारी, जाति ब्राहम्मण, निवासी– बजरंग नगर, हाउसिंग बोर्ड रोड सवाईमाधोपुर की उक्त लिखित रिपोर्ट पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा परिवादी पवन कुमार शर्मा पुत्र श्री शम्भु कुमार तिवारी, जाति ब्राहम्मण, निवासी– बजरंग नगर, हाउसिंग बोर्ड रोड स0मा0 से दरियाफ्त की गई तो उसने बताया कि मुझ प्रार्थी का निर्माणाधीन आवासीय मकान बजरंग नगर शेलोम स्कूल के सामने नेहा नगर के पीछे, हाउसिंग बोर्ड रोड स0मा0 में स्थित है, उक्त मकान के मैन गेट के सामने स्थित विधुत पोल को हटाये जाने की एवज में बिजली विभाग के लाईन मेन आशाराम मीणा द्वारा अपने उच्च अधिकारीयो एईएन महेश सैनी व स्वंय के लिये तथा जेईएन अंकुश बंसल के नाम पर राशि 40,000/– रूपये की रिश्वत की मांग करता है। उक्त रिश्वत एईएन, जेएईएन में आपस में बंटे जाने बाबत भी बोलता है। रिश्वत की रकम नही दिये जाने से आज दिनांक तक प्रार्थी द्वारा बिजली विभाग में पोल सिफ्टीग हेतु दिये गये प्रार्थना–पत्र पर कोई कार्यवाही नही की गई तथा पोल भी नही हटाया गया। उपरोक्त लिखित तहरीरी रिपोर्ट एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वती मांग का पाया जाने पर रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मनोज कुमार कानि. को कार्यालय कक्ष मे बुलाकर परिवादी श्री पवन कुमार शर्मा से आपस मे परिचय करवाकर, परिवादी द्वारा करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही बाबत अवगत करवाकर परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकॉर्डर ऑपरेट करने की विधि समझाकर आरोपित आशाराम मीणा लाईनमेन बिजली विभाग सवाई माधोपुर द्वारा रिश्वत मांगे जाने सम्बंधी वार्तालाप रिकॉर्ड करने हेतु जरिये फर्द सुपुर्द किया जाकर वक्त 06:25 पी.एम. पर परिवादी श्री पवन कुमार शर्मा एवं कानि. मनोज कुमार 133 को रिश्वती मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु सवाई माधोपुर के लिये रवाना किया गया। समय 07:20 पी.एम. पर पर परिवादी श्री पवन कुमार शर्मा एवं कानि. श्री मनोज कुमार हाजिर कार्यालय आये और कानि0 मनोज कुमार ने सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किया तथा परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री आशाराम मीणा लाईनमेन से मेरी वार्तालाप हो गई है, उसने मेरे से मेरे मकान के मैन गेट के सामने स्थित विधुत पोल को हटाये जाने की एवज में अपने उच्च अधिकारीयो एईएन महेश सैनी व स्वंय के लिये तथा जेईएन के नाम पर उच्च अधिकारीयों से पूछकर रिश्वत कितनी देनी है, इस बाबत आरोपी ने मुझसे आज–कल में उच्च अधिकारीयो से पूछकर बताने को कहा। आरोपित से हुई वार्तालाप मैने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है। कानि. मनोज कुमार ने भी परिवादी के कथनो की ताईद की। सुपुर्दशुदा कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकॉर्डर जरिये फर्द प्राप्त कर सुना गया गया तो आरोपित श्री आशाराम मीणा लाईनमेन द्वारा रिश्वत मांगे जाने सम्बंधी वार्तालाप रिकॉर्ड होना पाया गया, तथा कानिस्टेबल व परिवादी की बात ताईद हुई। रिकॉर्ड वार्ता का फर्द रूपान्तरण पृथक से तैयार किया जावेगा। डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। समय 07:55 पी.एम. पर परिवादी को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने समझाईस कर बताया कि लाईनमेन आशाराम मीणा जब भी आपसे संपर्क करे, तब आप मुझे अवगत करावे या कार्यालय में उपस्थित आवे। परिवादी श्री पवन कुमार शर्मा को मुनासिफ हिदायत कर कार्यालय से रूख्सत किया गया। दिनांक 25.05.2022 को समय 05:38 पी.एम. पर परिवादी श्री पवन कुमार शर्मा ने जरिये मोबाईल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आशाराम मीणा लाईनमेन ने मुझे अभी बात करने के लिये खैरदा, सवाई माधोपुर बुलाया है। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री रामकेश कानि. को मुनासिफ हिदायत कर डिजिटल वाईस रिकार्डर लेकर परिवादी श्री पवन कुमार शर्मा से सम्पर्क कर गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन कराने हेतु रवाना किया गया। समय 07:30 पी.एम. पर श्री रामकेश कानि. व परिवादी श्री पवन कुमार शर्मा उपस्थित कार्यालय आये और श्री रामकेश कानि. ने सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर पेश किया तथा परिवादी श्री पवन कुमार शर्मा ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आप द्वारा भेजे गये कानि. रामकेश मुझे खैरदा पुलिया के पास मिला, जिन्होने मुझे डिजिटल वाईस रिकार्डर सिपुर्द किया, मै डिजिटल वाईस रिकार्डर लेकर आशाराम मीणा लाईनमेन के पास खैरदा पावर हाउस गया। जहां आशाराम मीणा लाईनमेन द्वारा मुझसे मेरे मकान के मैन गेट के सामने स्थित विधुत पोल को हटाये जाने की एवज में अपने उच्च अधिकारीयो व स्वंय के लिये 40,000 रूपये रिश्वत के मांगे और कल दिनांक 26.05.2022 को दोपहर बाद मिलकर पैसे व प्रार्थना पत्र देने के लिए कहा है। मेरे व

आशाराम मीणा के मध्य हुई वार्ता को मैंने डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड कर ली तथा मैंने रामकेश कानि. के पास आकर डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर उनको सुपुर्द कर दिया। जिन्होने उसे बन्द कर अपने पास रख लिया। इस पर कानि0 रामकेश से डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त कर उसे चालू कर सुना तो डिजिटल वाईस रिकार्डर में परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता रिकॉर्ड होना तथा परिवादी के कथन की पुष्टि होना पायी गई। डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। समय 8.45 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 17.05.2022 को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाये गये डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को निकलवाकर परिवादी, पवन कुमार शर्मा एवं गवाहान श्री रामकेश कानि0 98 व श्री राजवीर सिंह कानि0 149 के समक्ष रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 17.05.2022 को परिवादी श्री पवन कुमार शर्मा व आरोपी आशाराम मीणा लाईनमेन बिजली विभाग के मध्य हुई रिकार्ड वार्ता जो डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड है, को कार्यालय लेपटॉप से जोडकर उक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को टेबल स्पीकर के माध्यम से परिवादी श्री पवन कुमार शर्मा एवं उक्त गवाहान के समक्ष सुन–सुन कर श्री राजवीर सिंह कानि से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट टाईप करवाकर तैयार की गई तत्पश्चात दिनांक 25.05.2022 को परिवादी श्री पवन कुमार शर्मा व आरोपी आशाराम मीणा लाईनमेन बिजली विभाग के मध्य हुई रिकार्ड वार्ता जो अलग सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड है को कार्यालय आलमारी मे सुरक्षित रखे हुये को निकलवाकर कार्यालय लेपटॉप से जोडकर उक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को टेबल स्पीकर के माध्यम से परिवादी श्री पवन कुमार शर्मा एवं उक्त गवाहान के समक्ष सुन–सुन कर श्री राजवीर सिंह कानि से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट टाईप करवाई गई तथा उक्त दोनो रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की श्री राजवीर सिंह कानि. से क्रमंश–फोल्डर नं0 1 व फोल्डर नं0 2 मे एक पेन ड्राईव Sandisk 16GB न्यायालय हेतु व तीन डीवीडीयां क्रमश– मुल्जिम एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क "A" अंकित कर उक्त पेन ड्राईव Sandisk 16GB व डीवीडीयों को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। शील्डशुदा पेन ड्राईव Sandisk 16GB व डीवीडी को श्री जुगलाल कानि0 459 को जमा मालखाना करवाई गई तथा आईओ प्रति डीवीडी को कपडे की थैली में रखवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर फाईल पर रखा गया। दिनांक 26.05.2022 को समय 4.15 एएम पर परिवादी श्री पवन कुमार शर्मा को उचित हिदायत कर रिश्वत में दी जाने वाली राशि 40,000/– रूपये लेकर दौपहर बाद कार्यालय उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर कार्यालय हाजा से रूखस्त किया। समय 01.30 पी. एम. पर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने पर आयुक्त नगर परिषद सवाई माधोपुर के नाम पत्र देकर गवाह लाने हेतु कानि0 श्री रमेश कुमार कानि. 469 को रवाना किया गया। समय 02.15 पी.एम. पर परिवादी श्री पवन कुमार शर्मा उपस्थित कार्यालय आया और बताया कि मैं रिश्वत में दी जाने वाली राशि 40,000/–रूपये साथ लेकर आया हूं। इस पर परिवादी को कार्यालय में बैठाया गया। समय 02.25 पी.एम. पर श्री रमेश कुमार कानि0 उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मय दो स्वतंत्र गवाहान श्री विकास गुर्जर पुत्र श्री देवक्या गुर्जर जाति गुर्जर उम्र–26 वर्ष निवासी–ग्राम बाडोलास तह0 व जिला सवाईमाधोपुर हाल–सफाई कर्मचारी कार्यालय नगर परिषद सवाईमाधोपुर मौबाईल नं0 8875429745 व श्री पवन कुमार सैनी पुत्र श्री बच्चूसिह सैनी जाति माली उम्र–26 वर्ष निवासी– नोरंगाबाद श्रीमहावीर जी जिला करौली हाल–सफाई कर्मचारी कार्यालय नगर परिषद सवाईमाधोपुर मौ0नं0 7877556520 के उपस्थित कार्यालय आये, तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में गवाह रहने की सहमति चाहने पर दोनों ने अपनी–अपनी मौखिक सहमति दी। कार्यालय में उपस्थित परिवादी पवन कुमार शर्मा से परिचय करवाकर परिवादी की लिखित शिकायत को दोनों को पढवाकर उस पर दोनों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 6.35 पी.एम पर परिवादी पवन कुमार शर्मा ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैने अपने स्तर से आरोपी आशाराम मीणा के बारे मे जानकारी की तो आरोपी बाहर गया हुआ है देर रात आने का पता चला है। जिसपर परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय हाजा पर रात्रि मुकिम रखा गया। दिनांक 27.05.2022 को समय 06.15 ए.एम. पर परिवादी पवन कुमार शर्मा को आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु निर्देशित करने पर परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 80 नोट कुल 40,000/– रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। उक्त नोटों के नम्बर फर्द में अंकित करवाये जाकर नोटो के दोनों तरफ फिनोल्फ्थलीन पाउडर श्री राजवीर कानि. नं. 149 से लगवाया जाकर पाउडर लगे नोट 40 हजार रूपये आरोपी को देने के लिए परिवादी के शरीर पर पहनी हुयी पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में कोई शः नही छोडते हुए राजवीर कानि. से रखवाये गये। गवाहान व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोल्फ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रकिया दृष्टान्त देकर समझाई गई। परिवादी पवन कुमार शर्मा को रिश्वत लेन–देन का ईशारा अपनी ऑखो

पर लगे चश्मे को हटाने के ईशारे की समझाईश की गई एवं उक्त ईशारा ट्रेप पार्टी को भी समझाया गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। समय 07:00 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी पवन कुमार शर्मा व मनोज कुमार कानि., हम्मीर सिंह कानि. को परिवादी की स्वयं की गाडी से रवाना कर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्टाफ सर्वश्री हनुमान प्रसाद हैड कानि. 74, जुगलाल कानि. नं. 459, रामकेश कानि. नं. 98, एवं दोनों स्पतंत्र गवाह सर्वश्री विकास गुर्जर सफाई कर्मचारी व पवन कुमार सैनी सफाई कर्मचारी तथा तैयारशुदा ट्रेप बाक्स कार्यालय लैपटॉप/प्रिन्टर, वाईस रिकार्डर के सरकारी बोलेरो गाडी मय श्री संजय कुमार कानि. ड्रा. के ट्रेप कार्यवाही हेतु खेरदा पावर हाउस कॉलोनी सवाईमाधोपुर के लिये रवाना हुआ। श्री राजवीर कानि. नं. 149 को आवश्यक हिदायत कर कार्यालय में ही छोडा गया। समय 07:20 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं हमराहियान के खेरदा पावर हाउस कॉलोनी के पास पहुच कर परिवादी, गवाह एवं स्टाफ के सभी सदस्यो को गाडी से नीचे उतार कर आवश्यक हिदायत कर परिवादी श्री पवन कुमार शर्मा को रिश्वत लेन देन से सम्बंधित वार्ता रिकार्ड करने हेतु श्री मनोज कुमार कानि. से वाईस रिकार्डर चालू करवा कर दिया गया एवं आरोपी श्री आशाराम मीणा से मिल कर रिश्वत राशि देने हेतु खेरदा पावर हाउस कॉलोनी सवाईमाधोपुर के परिसर में बने सरकारी आवास के लिए रवाना कर स्टाफ के सभी सदस्यो को अपनी अपनी उपस्थिति छिपाते हुए रिश्वती राशि प्राप्ती के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकीम किया गया। समय 09:00 ए.एम. पर दर्ज रहे कि समय 7.30 एएम पर परिवादी श्री पवन कुमार शर्मा ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को आरोपी के सरकारी आवास के पास मुकीमशुदा का निर्धारित ईशारा आंखो पर लगे चश्मे को हटाकर ईशारा किया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दोनो स्वतंत्र गवाहान व हमराहीयान को अवगत करा कर हमराह साथ लेकर आरोपी आशाराम मीणा लाईनमैन के खेरदा स्थित सरकारी आवास के मैनगेट के पास पहुंचा तो परिवादी श्री पवन कुमार शर्मा मैनगेट के सामने खडा मिला परिवादी श्री पवन कुमार शर्मा से वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा और मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवादी श्री पवन कुमार शर्मा एवं हमराहियान सहित उक्त मकान में प्रवेश किया तो परिवादी ने एक व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि ये ही आशाराम मीणा लाईनमैन सवाईमाधोपुर है, जिन्होने अभी–अभी मेरे से 40,000/– रू. लेकर अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी जेब में रखे है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देकर उक्त व्यक्ति से उनका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री आशाराम मीणा पुत्र श्री घनश्याम मीणा, उम्र–38 वर्ष, जाति मीणा, निवासी ग्राम गंम्भीरा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर हाल लाईनमैन कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता आलनपुर, जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटैड सवाईमाधोपुर होना बताया। इस पर आरोपी आशाराम मीणा से 40,000/–रूपये किस बात के लिये है बाबत पूछा तो आरोपी ने बताया कि पवन कुमार जी से कोई राशि प्राप्त नहीं की है। इस पर पास ही खडे परिवादी श्री पवन कुमार शर्मा ने आरोपी आशाराम मीणा की बात का खण्डन करते हुए बताया कि इन्होने अभी–अभी मुझसे निर्माणाधीन आवासीय मकान बजरंग नगर शेलोम स्कूल के सामने नेहा नगर के पीछे, हाउसिंग बोर्ड रोड स0मा0 में स्थित है, उक्त मकान के मैन गेट के सामने स्थित विधुत पोल को हटाये जाने की एवज में राशी 40,000/–रू. रिश्वत की दिनांक 25.05.2022 को मांग की थी तथा आज दिनांक 27.05.2022 को मेरे से अभी–अभी 40,000/–रू. लेकर अपनी शर्ट की सामने की बांयी जेब में रखे है। इस पर आरोपी आशाराम मीणा चुप हो गया, फिर कुछ सोच कर बोला कि यह पैसे सिर्फ मेरे लिये नही लिये है यह पैसे महेश जी सैनी सहायक अभियन्ता के कहने पर लिये है, मैं यह पैसे लेकर उनको ही देता, मै फोन से महेश जी सैनी सहायक अभियन्ता से बात कर सकता हूँ। एईएन साहब हाउसिंग बोर्ड सवाईमाधोपुर में ही रहते है, आरोपी आशाराम मीणा द्वारा बताये तथ्यो की पुष्टि हेतु समय 08.03 ए.एम. पर आरोपी आशाराम मीणा के मोबाईल नम्बर 9414791355 से आरोपी महेश सैनी सहायक अभियन्ता के मोबाईल नम्बर 9413390434 पर कॉल करवाया गया। आरोपी आशाराम मीणा ने कहा सर वो एप्लीकेशन आ गई थी, गुरूजी थे ना पवन जी, जो 40 हजार रूपये दे गया जो क्या करू मैं बताओ, जिस पर एईएन ने कहा कि एप्लीकेशन तो तेरे पास ही रखले कोई दिक्कत नहीं पैसे जमा करादेंगे। उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया, जिसकी पृथक से ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की जावेगी। इसके पश्चात मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान, परिवादी एवं आरोपी आशाराम मीणा को साथ लेकर परिवादी की स्वय की कार व सरकारी बोलेरो गाडी से हाउसिंग बोर्ड सवाईमाधोपुर स्थित श्री जगदीश मित्तल के मकान नं 3/17 में किराये से निवासरत सहायक अभियन्ता के पास पहुचा तथा अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए

उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम महेश सैनी पुत्र श्री हंसराज सैनी, उम्र–37 वर्ष, निवासी सांभरलैक, जिला जयपुर हाल सहायक अभियन्ता ए–प्रथम, जयपुर विधुत वितरण निगम लि0 सवाईमाधोपुर होना बताया। मौके पर अनावश्यक भीड होने लगी, जिससे कार्यवाही में व्यवधान होने की सम्भावना को देखते हुए मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराही स्टाफ, स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं दोनो आरोपीयो को हमराह लेकर रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय सवाईमाधोपुर पहुचा एवं अग्रिम कार्यवाही शुरू की। इसके पश्चात गाडी से ट्रेप बाक्स मंगवाया जाकर ट्रेप बाक्स में से गवाह श्री पवन सैनी से तामचीनी के कटोरा को साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाया जाकर पानी डलवाया जाकर उक्त गवाह से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर निकलवाकर तामचीनी का कटोरा में डलवा कर चम्मच से हिलवाया गया तो पानी का रंग अपरिवर्तित रहा जिसको सभी हाजरीन को दिखाया जाकर उक्त घोल में आरोपी श्री आशाराम मीणा के दाहिने हाथ के अंगुलीया व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क RH–1 व RH–2 अंकित कर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। तत्पश्चात तामचीनी के कटोरे को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर तामचीनी कटोरे में साफ पानी डलवाकर उक्त गवाह से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर निकलवाकर तामचीनी का कटोरा में डलवा कर चम्मच से हिलवाया गया तो पानी का रंग अपरिवर्तित रहा जिसको सभी हाजरीन को दिखाया जाकर उक्त घोल में आरोपी श्री आशाराम मीणा के बांये हाथ के अंगुलीया व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क LH–1 व LH–2 अंकित कर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। आरोपी आशाराम मीणा के बताये अनुसार रिश्वती राशि उसकी पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी जेब में है जिसे स्वतन्त्र गवाह श्री विकास गुर्जर से निकलवाई गई तो 500–500 रू. के नोटो की गड्डी मिली, जिन्हे गवाह से गिनवाये गये तो 500–500 रू. के 80 नोट कुल 40,000/–रू. होना पाये गये। जिनका विवरण निम्नप्रकार है :–

क्रम संख्या	नोटों का विवरण	नोटों के नम्बर
1.	एक नोट 500 रूपये का	6TT382531
2.	एक नोट 500 रूपये का	5GW428304
3.	एक नोट 500 रूपये का	0DP313177
4.	एक नोट 500 रूपये का	2KM266088
5.	एक नोट 500 रूपये का	3MU752740
6.	एक नोट 500 रूपये का	3DP135252
7.	एक नोट 500 रूपये का	4UC970994
8.	एक नोट 500 रूपये का	2UL308567
9.	एक नोट 500 रूपये का	4KL665584
10.	एक नोट 500 रूपये का	2GG585639
11.	एक नोट 500 रूपये का	3QE946606
12.	एक नोट 500 रूपये का	8RU464173
13.	एक नोट 500 रूपये का	6TA489012
14.	एक नोट 500 रूपये का	3DQ196293
15.	एक नोट 500 रूपये का	3MQ041969
16.	एक नोट 500 रूपये का	8ED760623
17.	एक नोट 500 रूपये का	0AU289433
18.	एक नोट 500 रूपये का	8KE469560
19.	एक नोट 500 रूपये का	8GB842071
20.	एक नोट 500 रूपये का	0EA621039

21.	एक नोट 500 रूपये का	9NG064897
22.	एक नोट 500 रूपये का	7WW696134
23.	एक नोट 500 रूपये का	0FQ937869
24.	एक नोट 500 रूपये का	4QV717758
25.	एक नोट 500 रूपये का	9NL168645
26.	एक नोट 500 रूपये का	0CQ199475
27.	एक नोट 500 रूपये का	6RL931436
28.	एक नोट 500 रूपये का	9WN334036
29.	एक नोट 500 रूपये का	7MT286403
30.	एक नोट 500 रूपये का	2PQ583503
31.	एक नोट 500 रूपये का	7WB171160
32.	एक नोट 500 रूपये का	3TS916284
33.	एक नोट 500 रूपये का	4QL667380
34.	एक नोट 500 रूपये का	1SH101392
35.	एक नोट 500 रूपये का	8DE492693
36.	एक नोट 500 रूपये का	7HP541674
37.	एक नोट 500 रूपये का	7QS858859
38.	एक नोट 500 रूपये का	4DN537461
39.	एक नोट 500 रूपये का	5GS270215
40.	एक नोट 500 रूपये का	0QD530537
41.	एक नोट 500 रूपये का	3KN695288
42.	एक नोट 500 रूपये का	5EF181048
43.	एक नोट 500 रूपये का	3KB937742
44.	एक नोट 500 रूपये का	6MV746691
45.	एक नोट 500 रूपये का	8HE499501
46.	एक नोट 500 रूपये का	1UE280634
47.	एक नोट 500 रूपये का	7PA131635
48.	एक नोट 500 रूपये का	8MV322629
49.	एक नोट 500 रूपये का	8AD816595
50.	एक नोट 500 रूपये का	5RE730529
51.	एक नोट 500 रूपये का	1PK948980
52.	एक नोट 500 रूपये का	6MN372263
53.	एक नोट 500 रूपये का	4BC745735
54.	एक नोट 500 रूपये का	2BS112095
55.	एक नोट 500 रूपये का	4DP136830
56.	एक नोट 500 रूपये का	4SM799946
57.	एक नोट 500 रूपये का	6RS714654
58.	एक नोट 500 रूपये का	5VG018290
59.	एक नोट 500 रूपये का	6DT065695
60.	एक नोट 500 रूपये का	7HQ153427
61.	एक नोट 500 रूपये का	0DK350078

62.	एक नोट 500 रूपये का	6SP120818
63.	एक नोट 500 रूपये का	7DF460360
64.	एक नोट 500 रूपये का	0TL329787
65.	एक नोट 500 रूपये का	5AR985594
66.	एक नोट 500 रूपये का	0HC037962
67.	एक नोट 500 रूपये का	0FE804932
68.	एक नोट 500 रूपये का	7MK954882
69.	एक नोट 500 रूपये का	0CC661390
70.	एक नोट 500 रूपये का	5MG000119
71.	एक नोट 500 रूपये का	4TG374114
72.	एक नोट 500 रूपये का	4CW483466
73.	एक नोट 500 रूपये का	5FE035063
74.	एक नोट 500 रूपये का	1DG308312
75.	एक नोट 500 रूपये का	9BU043416
76.	एक नोट 500 रूपये का	0LS446927
77.	एक नोट 500 रूपये का	6CQ269726
78.	एक नोट 500 रूपये का	2GC164077
79.	एक नोट 500 रूपये का	8NM115387
80.	एक नोट 500 रूपये का	3CK363454

उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व मुर्तिवशुदा फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरो से करवाया गया तो नोटो के नम्बरो का हूबहू मिलान होना पाया गया। उपरोक्त 40,000/—रूपये के नम्बरी नोटो को बतौर बजह सबूत एक सफेद कागज के साथ सिलवाकर सील मोहर कर कागज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आशाराम मीणा लाईनमैन के पहनने हेतु एक शर्ट की व्यवस्था कर उसके पहने हुए शर्ट को ससम्मान उतरवाया जाकर शर्ट की जेब से रिश्वती राशि बरामद हुई उसके धोवन हेतु गवाह श्री पवन सैनी से तामचीनी के कटोरे को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर तामचीनी कटोरे में साफ पानी डलवाकर उक्त गवाह से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर निकलवाकर तामचीनी का कटोरा में डलवा कर चम्मच से हिलवाया गया तो पानी का रंग अपरिवर्तित रहा जिसको सभी हाजरीन को दिखाया जाकर उक्त घोल में आरोपी श्री आशाराम मीणा की पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी जेब को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा—आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क S—1 व S—2 अंकित कर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। उक्त शर्ट की जेब को सुखा कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर एक कपडे की थैली में सील मोहर कर मार्क—एस अंकित कर कपडे की थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री महेश सैनी सहायक अभियन्ता से परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वती राशि के सम्बंध में पूछा तो आरोपी महेश सैनी सहायक अभियन्ता ने बताया कि मैने पवन जी शर्मा से कोई रिश्वत की मांग नहीं की है तथा पवन जी कभी मेरे से मेरे कार्यालय में आकर नहीं मिले है, ना ही कोई काम बताया। इस पर पास ही खडे परिवादी पवन कुमार शर्मा ने स्वतः ही बताया कि एईएन साहब झूंठ बोल रहे है मैं कुछ दिन पहले इनके कार्यालय पुराना शहर राजबाग में गया था तथा मैने अपने निर्माणाधीन आवासीय मकान बजरंग नगर शेलोम स्कूल के सामने नेहा नगर के पीछे, हाउसिंग बोर्ड रोड स0मा0 के मकान के मैन गेट के सामने स्थित विधुत पोल को हटाने के लिए कहा था, जिस पर महेश जी सैनी सहायक अभियन्ता ने मुझे आशाराम मीणा लाईनमैन से मिलने का कहा था। इस पर आरोपी महेश सैनी

सहायक अभियन्ता चुप रहा और कुछ नहीं बोला। तत्पश्चात दोनो आरोपीगणो को आमने–सामने करवा कर पूछा गया तो आरोपी आशाराम मीणा ने बताया कि मैने एईएन साहब को पूछ कर ही 40,000/–रूपये के लिये पवन कुमार जी को कहा था तथा एईएन साहब के कहने पर आज मैने 40,000/रूपये लिये है। इससे स्पष्ट है कि आरोपी महेश सैनी सहायक अभियन्ता एवं आशाराम मीणा लाईनमैने आपस में मिलकर रिश्वत राशि प्राप्त कर रहे है। तत्पश्चात आरोपी आशाराम मीणा लाईनमैन की जामा तलाशी गवाह श्री विकास गुर्जर से लिवायी गई तो उसके पहनी हुई लोअर की दाहिनी साईड की जेब में एक मोबाईल फोन रियलमी कम्पनी का मिला, जिसमें एक सिम जीओ कम्पनी नं. 9414790355 व दूसरी सिम एयरटेल नं. 9887037138 है, उक्त मोबाईल फोन से कार्यवाही के दौरान वार्ता हुई है। अतः उक्त मोबाईल फोन को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील चस्पा कर मार्क–एम अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके अतिरिक्त ओर कोई वस्तु/राशि नहीं पाई गई। तत्पश्चात आरोपी महेश सैनी सहायक अभियन्ता की जामा तलाशी गवाह श्री विकास गुर्जर से लिवायी गई तो उसके पहनी हुई जिंस पेन्ट की बांयी साईड की जेब में एक रियलमी कम्पनी मोबाईल फोन तथा एक सैमसंग कम्पनी का कीपेड मोबाईल फोन मिला। रियलमी कम्पनी के फोन में एक सिम जीओ कम्पनी नं. 7014397907 है तथा दूसरे मोबाईल सैमसंग कम्पनी के कीपेड में बीएसएनएल कम्पनी की सिम नं. 9413390434 है, सैमसंग कम्पनी के कीपेड मोबाईल फोन से कार्यवाही के दौरान वार्ता हुई है। अतः उक्त मोबाईल फोन को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील चस्पा कर मार्क–M–1 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी महेश सैनी सहायक अभियन्ता व आशाराम मीणा लाईनमैन से परिवादी पवन कुमार शर्मा के निर्माणाधीन आवासीय मकान बजरंग नगर शेलोम स्कूल के सामने नेहा नगर के पीछे, हाउसिंग बोर्ड रोड स0मा0 के मकान के मैन गेट के सामने स्थित विधुत पोल को हटाने सम्बंधी पत्रावली के बारे में पूछा तो महेश सैनी सहायक अभियन्ता ने स्वयं के कार्यालय में उक्त कार्य से सम्बंधित कोई पत्रावली नहीं होना बताया तथा आरोपी आशाराम मीणा लाईनमैन ने उक्त कार्य की पत्रावली की जानकारी नहीं होना बताया। फिर भी यदि कोई परिवादी से सम्बंधित रिकार्ड होगा तो पृथक से प्राप्त किया जावेगा। तत्पश्चात परिवादी श्री पवन कुमार शर्मा को सुपुर्द शुदा विभागीय वाईस रिकार्डर जो पूर्व में प्राप्त किया गया जो मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित है को लेपटॉप में कनेक्ट करवा कर उक्त वार्ता को चालू कर ईयरफोन लगा कर सुना गया तो वाईस रिकार्डर में रिश्वती राशि लेन–देन सम्बन्धी वार्ता रिकार्ड होना पाई गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इसके बाद परिवादी श्री पवन कुमार शर्मा एवं आरोपीगण श्री महेश सैनी सहायक अभियन्ता व श्री आशाराम मीणा लाईनमैन से आपस में एक दूसरे से किसी प्रकार की रंजिश अथवा पैसे आदि के लेन–देन शेष होने बाबत पूछा तो स्वेच्छा से किसी प्रकार की रंजिश या लेन देन होने से मना किया। उक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी पृथक से तैयार कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 12:15 पी.एम. पर पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने श्री हम्मीर सिंह कानि. नं. 02 को अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विधुत वितरण निगम लि0 सवाईमाधोपुर के नाम पत्र देकर परिवादी श्री पवन कुमार शर्मा के कार्य से सम्बंधित पत्रावली/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय सवाईमाधोपुर रवाना किया। समय 12:45 पी.एम. पर पर श्री हम्मीर सिंह कानि. नं. 02 अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विधुत वितरण निगम लि0 सवाईमाधोपुर से सूचना प्राप्त कर वापस आया। समय 02:00 पी.एम. पर अभियुक्त श्री आशाराम मीणा पुत्र श्री घनश्याम मीणा, उम्र–38 वर्ष, जाति मीणा, निवासी ग्राम गंम्भीरा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर हाल लाईनमैन कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता आलनपुर, जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड सवाईमाधोपुर ने लोकसेवक होते हुए अपने पद एवं कर्त्तव्यो का दुरूपयोग कर अनैतिक लाभ प्राप्त करने हेतु आरोपी श्री महेश सैनी सहायक अभियन्ता से आपस में मिलीभगत कर परिवादी श्री पवन कुमार शर्मा के निर्माणाधीन आवासीय मकान बजरंग नगर शेलोम स्कूल के सामने नेहा नगर के पीछे, हाउसिंग बोर्ड रोड स0मा0 में स्थित है, उक्त मकान के मैन गेट के सामने स्थित विधुत पोल को हटाये जाने की एवज में दिनांक 27.05.2022 को

40,000/–रू. दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री आशाराम मीणा लाईनमैन रिश्वती राशि ग्रहण कर अपने पहने हुए शर्ट की सामने की बांयी जेब में रखी जहां से रिश्वती राशि बरामद हुई। आरोपीगणो का उक्त कृत्य अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 एवं 120 बी भा.दं.सं. जुर्म प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। मौतवीरान के समक्ष आरोपी को उसके उक्त जुर्म एवं संवैधानिक अधिकारो से आगाह करवाते हुए हस्बकायदा गिरफ्तार किया गया। समय 02:30 पी.एम. पर अभियुक्त महेश सैनी पुत्र श्री हंसराज सैनी, उम्र–37 वर्ष, निवासी सांभरलैक, जिला जयपुर हाल सहायक अभियन्ता ए–प्रथम, जयपुर विधुत वितरण निगम लि0 सवाईमाधोपुर ने लोकसेवक होते हुए अपने पद एवं कर्त्तव्यो का दुरूपयोग कर अनैतिक लाभ प्राप्त करने हेतु आरोपी श्री आशाराम मीणा लाईनमैन से आपस में मिलीभगत कर परिवादी श्री पवन कुमार शर्मा के निर्माणाधीन आवासीय मकान बजरंग नगर शेलोम स्कूल के सामने नेहा नगर के पीछे, हाउसिंग बोर्ड रोड स0मा0 में स्थित है, उक्त मकान के मैन गेट के सामने स्थित विधुत पोल को हटाये जाने की एवज में आज दिनांक 27.05.2022 को 40,000/–रू. दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री आशाराम मीणा लाईनमैन रिश्वती राशि ग्रहण कर अपने पहने हुए शर्ट की सामने की बांयी जेब में रखी जहां से रिश्वती राशि बरामद हुई। आरोपीगणो का उक्त कृत्य अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 एवं 120 बी भा.दं.सं. जुर्म प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। मौतवीरान के समक्ष आरोपी को उसके उक्त जुर्म एवं संवैधानिक अधिकारो से आगाह करवाते हुए हस्बकायदा गिरफ्तार किया गया। समय 03:00 पी.एम. पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय परिवादी मय स्वतन्त्र गवाहान एवं जुगलाल कानि. मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक के घटना स्थल खेरदा पावर हाउस कॉलोनी पहुच कर फर्द नक्शा मौका घटना स्थल मुर्तिव किया गया। बाद फारिग घटना स्थल खेरदा पावर हाउस कॉलोनी से रवाना होकर मय हमराहियान के एसीबी कार्यालय पहुचा। समय 04:15 पी.एम. पर गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री आशाराम मीणा लाईनमैन एवं श्री महेश सैनी सहायक अभियन्ता का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने हेतु श्री हम्मीर सिंह कानि., श्री रामकेश कानि., श्री प्रदीप कुमार क.स. मय सरकारी बोलेरो गाडी मय चालक श्री संजय कुमार के सामान्य चिकित्सालय सवाईमाधोपुर रवाना किया। समय 5.15 पी.एम. पर गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री आशाराम मीणा लाईनमैन एवं श्री महेश सैनी सहायक अभियन्ता का बाद स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर श्री हम्मीर सिंह कानि., श्री रामकेश कानि., श्री प्रदीप कुमार क.स. मय सरकारी बोलेरो गाडी मय चालक श्री संजय कुमार के सामान्य चिकित्सालय सवाईमाधोपुर से उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये। समय 05:20 पी.एम. पर सुरक्षित रखे गये रिश्वत लेन–देन वार्ता से सम्बंधित डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से जोड कर उक्त वार्ताओ को परिवादी व दोनो स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन–सुन कर वार्ताओं की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री राजवीर सिंह कानि. से टाईप करवा कर तैयार की गई। रिकार्ड वार्ता को एक पेन ड्राईव Sandusk 16जीबी व 3 डीवीडियों में राईट कर पेनड्राईव न्यायालय हेतु व 2 डीवीडियों को आरोपितो हेतु पृथक पृथक सफेद कपडे की थैली में शिल्ड कर मार्क बी अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। एक डीवीडी आई.ओ. हेतु कपडे की थैली में रख सिल कर पत्रावली पर रखा गया। समय 06:45 पी.एम. पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने ट्रेप कार्यवाही से सम्बंधित मालखाना जप्तशुदा व शिल्डशुदा रिश्वती राशि, दो मोबाईल फोन पैकेट मार्क क्रमशः M, M–1, शर्ट का शिल्डशुदा पैकेट मार्क–S एवं धोवन के शिल्ड सैम्पल मार्क RH–1, RH–2, LH–1, LH–2, S–1, S–2 शिल्डशुदा पेन ड्राईव व दो डीवीडी मार्क–B को बतौर वजह सबूत जरिये श्री जुगलाल कानि. के जमा मालखाना करवाया गया। समय 07:00 पी.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को दौराने कार्यवाही उपयोग में ली गई पीतल की सील का अवलोकन करवाया गया तथा फर्द पर नमूना सील अंकित की गई। उपयोग में ली गई पीतल की सील को कार्यालय एसीबी सवाईमाधोपुर के बाहर पत्थर से तुडवाई जाकर नष्ट की गई जिसकी फर्द नाशानी सील मुर्तिव की गई एवं स्वतन्त्र गवाह व परिवादी को मुनासिब हिदायत कर रूख्सत किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से अभियुक्त श्री आशाराम मीणा पुत्र श्री घनश्याम मीणा, उम्र–38 वर्ष, जाति मीणा, निवासी ग्राम गंम्भीरा तहसील व जिला

सवाईमाधोपुर हाल लाईनमैन कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता आलनपुर, जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड सवाईमाधोपुर एवं अभियुक्त श्री महेश सैनी पुत्र श्री हंसराज सैनी, उम्र–37 वर्ष, निवासी सांभरलैक, जिला जयपुर हाल सहायक अभियन्ता ए–प्रथम, जयपुर विधुत वितरण निगम लि0 सवाईमाधोपुर द्वारा लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से मिलीभगत कर परिवादी श्री पवन कुमार शर्मा से उसके निर्माणाधीन आवासीय मकान बजरंग नगर शेलोम स्कूल के सामने नेहा नगर के पीछे, हाउसिंग बोर्ड रोड स0मा0 में स्थित है, उक्त मकान के मैन गेट के सामने स्थित विधुत पोल को हटाये जाने की एवज में दिनांक 17.05.2022 व 25.05.2022 को वक्त सत्यापन 40,000/–रू. मांग की, उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 27.05.2022 को स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। उक्त मांग के अनुसरण में अभियुक्त श्री आशाराम मीणा लाईनमैन कनिष्ठ अभियन्ता आलनपुर, जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड सवाईमाधोपुर ने श्री महेश सैनी सहायक अभियन्ता ए–प्रथम, जयपुर विधुत वितरण निगम लि0 सवाईमाधोपुर से मिलीभगत कर स्वयं व महेश सैनी सहायक अभियन्ता के लिए परिवादी श्री पवन कुमार शर्मा से रिश्वती राशि 40,000/–रू. लेकर अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी जेब में रखना पाया गया जहां से 40,000/–रू. की रिश्वत राशि बरामद की गई। अभियुक्त श्री आशाराम मीणा पुत्र श्री घनश्याम मीणा, उम्र–38 वर्ष, जाति मीणा, निवासी ग्राम गंम्भीरा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर हाल लाईनमैन कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता आलनपुर, जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड सवाईमाधोपुर एवं अभियुक्त श्री महेश सैनी पुत्र श्री हंसराज सैनी, उम्र–37 वर्ष, निवासी सांभरलैक, जिला जयपुर हाल सहायक अभियन्ता ए–प्रथम, जयपुर विधुत वितरण निगम लि0 सवाईमाधोपुर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा.दं.सं. में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित है।

(सुरेन्द्र कुमार शर्मा)
अति0 पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
सवाईमाधोपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1.श्री आशाराम मीणा, हाल लाईनमैन द्वितीय, कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता आलनपुर, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सवाईमाधोपुर एवं 2. श्री महेश सैनी, हाल सहायक अभियन्ता ए-प्रथम, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सवाईमाधोपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 210/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

28/5/22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 1861-66 दिनांक 28.05.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. सचिव (प्रशासन), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता (पवस), जयपुर डिस्कॉम, सवाईमाधोपुर।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर।

28/5/22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।